भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3514

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2023 को दिया जाना है।

.....

सिंचाई योजनाएं

3514. श्री विनायक भाऊराव राऊतः

श्री संजय जाधवः

श्री ओम पवन राजेनिंबालकरः

श्रीमती केशरी देवी पटेलः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में देश में विशेषकर महाराष्ट्र में परभणी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित उत्तर प्रदेश में चल रही सिंचाई, जलापूर्ति और पनधारा विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त परियोजनाओं के विस्तार के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में विशेषकर महाराष्ट्र में परभणी और धाराशिव संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों तथा उत्तर प्रदेश में फूलपुर और प्रयागराज संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) क्या सरकार ने सिंचाई, जलापूर्ति, भू-जल और पनधारा विकास परियोजनाओं के लिए एकीकृत योजनाओं के विस्तार को मंजूरी दे दी है और यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त परियोजनाओं का दायरा कितना है और इनके कार्यान्वयन के लिए क्या समयावधि निर्धारित की गई है;

(च) अगले पांच वर्षों में लक्षित अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) उक्त बजटीय अनुमान का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क) से (ग): जल राज्य का विषय होने के कारण यह संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे अपने-अपने क्षेत्राधिकार में सिंचाई, जलापूर्ति और वॉटर शेड विकास परियोजनाओं की आयोजना और कार्यान्वयन करें। भारत सरकार की भूमिका अपनी चल रही योजनाओं के अंतर्गत तकनीकी सहायता और आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करने तक सीमित है।

वर्ष 2015-16 के दौरान, शुरू की गई पीएमकेएसवाई एक अम्ब्रेला योजना है, जिसमें जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे दो प्रमुख घटक शामिल हैं, अर्थात् त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), और हर खेत को पानी (एचकेकेपी)। एचकेकेपी में चार उप-घटक हैं: (i) कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडी एंड डब्ल्यूएम); (ii) सतही लघु सिंचाई (एसएमआई); (iii) जल निकायों की

मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार (आरआरआर); और (iv) भूजल (जीडब्ल्यू) विकास (केवल 2021-2022 तक और उसके बाद केवल चल रहे कार्यों के लिए अनुमोदन)। इसके अलावा, 2016 में, एचकेकेपी के सीएडी एंड डब्ल्यूएम उप-घटक को एआईबीपी के साथ समरूप (पारी-पासू) कार्यान्वयन के लिए शुरू किया गया था।

इसके अलावा, पीएमकेएसवाई में वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) भी शामिल है जिसे भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीओए एंड एफडब्ल्यू) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) घटक भी 2016-21 के दौरान पीएमकेएसवाई का एक घटक था, और अब इसे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीओए एंड एफडब्ल्यू) द्वारा अलग से कार्यान्वित किया जा रहा है।

महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित पीएमकेएसवाई के अंतर्गत वित्तपोषित की जा रही देश में सिंचाई और वॉटर शेड विकास परियोजनाओं के साथ-साथ पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

इसके अलावा, विदर्भ और मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के सूखा प्रवण जिलों में 83 सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) परियोजनाओं और 8 वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को चरणों में पूरा करने के लिए जुलाई, 2018 में भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के लिए एक विशेष पैकेज शुरू किया गया है। इनमें से, 41 एसएमआई परियोजनाओं के पूरा होने की सूचना मिली है। इस योजना के तहत 3.77 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से मार्च, 2023 तक 1.77 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की जा चुकी है। विशेष पैकेज के तहत 3,831.41 करोड़ रुपये की कुल केंद्रीय सहायता के एवज में अब तक 2,385.75 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

उपर्युक्त स्कीमों के अलावा, भारत सरकार द्वारा आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए समय-समय पर कतिपय विशेष सिंचाई परियोजनाएं शुरू की जाती हैं।

इसके अलावा, जहां तक जल आपूर्ति परियोजनाओं का संबंध है। भारत सरकार ग्रामीण घरों में नल के पानी के कनेक्शन के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत निधियां प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता कर रही है। इस संबंध में ग्राम-वार विवरण जेजेएम डैशबोर्ड पर उपलब्ध है जिसे https://ejalshakti.gov.in पर देखा जा सकता है।

(ख): सिंचाई, जल आपूर्ति और वॉटर शेड विकास परियोजनाओं के विस्तार सहित उनकी आयोजना और कार्यान्वयन का कार्य राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

(ग): इस संबंध में ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(घ) से (छ): वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक पीएमकेएसवाई के विस्तार को 93,068.56 करोड़ रुपये के समग्र परिव्यय (37,454 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता, नाबार्ड को 20,434.56 करोड़ रुपये का ऋण और राज्य सरकारों द्वारा राज्य का हिस्सा 35,180 करोड़ रुपये) के साथ अनुमोदित किया गया है।

केन्द्रीय सहायता भाग के घटक-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं-

घटक	**कुल (करोड़ रुपये में)**
एआईबीपी और सीएडी एंड डब्ल्यूएम	23,918
एचकेकेपी (एसएमआई और आरआरआर)	4,580
एचकेकेपी (जीडब्ल्यू) केवल प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए	822
डब्ल्यूडी	8,134
कुल योग	**37,454**

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 2021-26 के दौरान पीएमकेएसवाई के लिए लक्ष्य निम्नानुसार रखे गए हैं:

i. सीएडी एंड डब्ल्यूएम सहित एआईबीपी: इस योजना में 60 चल रही एआईबीपी और 85 चल रही सीएडी एंड डब्ल्यूएम प्रमुख/मध्यम परियोजनाओं को पूरा करने का प्रस्ताव है। इस मंत्रालय को एआईबीपी के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए और अधिक परियोजनाओं को शामिल करने का अधिदेश भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त, लखवाड़ और रेणुका परियोजनाओं नामक दो राष्ट्रीय परियोजनाओं के वित्तपोषण को भी अनुमोदित किया गया है। वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान एआईबीपी के तहत 13.88 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता और सीएडी एंड डब्ल्यूएम के तहत 30.23 लाख सीसीए कवरेज के सृजन की परिकल्पना की गई है।

ii. पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी: 3.7 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता को सृजित करने की दृष्टि से जल निकायों की चल रही एसएमआई और आरआरआर योजनाओं को पूरा करने और 0.8 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन करने हेतु 2021-26 की अवधि के लिए, नई परियोजनाएं शुरू करने को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, 2021-22 के दौरान भूजल घटक के कार्यान्वयन से 1.52 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता अर्जित करने का लक्ष्य रखा गया है।

iii. पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडी: वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वयनार्थ 2.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र के साथ-साथ, डब्ल्यूडी घटक के तहत 49.5 लाख हेक्टेयर वर्षा सिंचित/बंजर भूमि को कवर करने वाली स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, योजना के संबंधित घटक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार के अनुरोध पर परियोजना प्राधिकारियों द्वारा की गई प्रगति के आधार पर राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है।

*****

अनुलग्नक-I

"सिंचाई योजनाएं" के संबंध में 10.08.2023 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 3514 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों अर्थात 2020-2021 से 2022-2023 के दौरान प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत की गई राज्यवार भौतिक और वित्तीय प्रगति

क. कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडी एंड डब्ल्यूएम) के पारी-पासू त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी):-

		हजार हेक्टेयर में		रुपए करोड़ में	
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सिंचाई क्षमता का सृजन	सीएडी एंड डब्ल्यूएम के तहत कवर किया गया कृषि योग्य कमांन क्षेत्र	जारी की गई केंद्रीय सहायता	कुल व्यय
1	आंध्र प्रदेश	0.00	0.93	0.00	139.35
2	असम	7.10	5.51	4.00	198.55
3	बिहार	6.86	4.90	14.12	91.32
4	छत्तीसगढ़	0.10	3.20	11.42	69.59
5	गोवा	3.86	5.85	3.84	118.77
6	गुजरात	37.01	84.98	596.39	2,225.32
7	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	1.26	0.22	11.37	683.88
8	झारखंड	0.61	0.00	0.00	826.22
9	कर्नाटक	1.39	6.35	248.95	33.74
10	केरल	0.53	1.20	2.69	2623.50
11	मध्य प्रदेश	6.79	52.30	231.94	6051.23
12	महाराष्ट्र	107.10	87.92	839.52	520.75
13	मणिपुर	5.43	3.64	37.35	2,201.57
14	ओडिशा	26.89	16.67	110.86	164.56
15	पंजाब	23.37	26.76	27.08	154.39
16	राजस्थान	0.00	48.01	206.91	2,005.68
17	तेलंगाना	69.41	0.00	206.78	2,725.12
18	उत्तर प्रदेश	68.55	18.90	421.75	22.25
19	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	0.00	-	0.81	47.78
	कुल	**366.26**	**367.34**	**2,975.78**	**20,903.55**

ख. पीएमकेएसवाई-एआईबीपी (2021-22 से पीएमकेएसवाई के तहत 6 नई एआईबीपी परियोजनाएं जोड़ी गईं):

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सिंचाई क्षमता का सृजन (हजार हेक्टेयर में)	जारी की गई केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)	व्यय 2021-22 (करोड़ रुपये में)
1	जिहे काठपुर परियोजना (महाराष्ट्र)	7.90	39.02	94.78
2	नादौन परियोजना (हिमाचल प्रदेश)	0.00	2.25	2.50

3	परवन बहुउद्देशीय परियोजना (राजस्थान)	9.14	41.43	1,042.95
4	कन्नडियन चैनल (तमिलनाडु)	4.12	34.74	94.10
5	सुकला सिंचाई परियोजना (असम) का ईआरएम	0.00	41.98	91.82
6	लोकटक एलआइएस (फेज-I) का ईआरएम (मणिपुर)	3.71	24.88	28.58
	कुल	**24.87**	**184.30**	**1,354.73**

ग. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - हर खेत को पानी - सतही लघु सिंचाई:

क्रं.सं.	राज्य	सिंचाई क्षमता का सृजन (हजार हेक्टेयर में)	जारी की गई केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)	किया गया कुल व्यय (करोड़ रुपये में)
1	अरुणाचल प्रदेश	0.09	289.38	0.00
2	असम	0.00	552.36	60.74
3	बिहार	1.30	15.14	0.00
4	हिमाचल प्रदेश	11.38	160.61	125.97
5	जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख	0.00	97.59	26.19
6	कर्नाटक	0.00	30.00	0.00
7	मणिपुर	5.79	171.70	91.26
8	मेघालय	9.07	204.06	189.50
9	मिजोरम	0.49	12.32	8.51
10	नागालैंड	0.00	97.89	0.00
11	सिक्किम	0.00	31.91	18.02
12	त्रिपुरा	0.00	0.00	8.38
13	उत्तराखंड	6.18	46.84	22.34
कुल		**34.29**	**1,709.78**	**550.90**

घ. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना - हर खेत को पानी - जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार:

क्रं.सं.	राज्य	सिंचाई क्षमता का सृजन (हजार हेक्टेयर में)	जारी की गई केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)	किया गया कुल व्यय (करोड़ रुपये में)
1	बिहार	21.80	15.91	21.69
2	गुजरात	1.87	3.16	7.05
3	मणिपुर	0.00	0.00	13.96
4	ओडिशा	0.45	45.64	8.50
5	राजस्थान	1.76	9.30	27.13
6	तमिलनाडु	2.44	46.38	73.37
7	तेलंगाना	11.31	0.00	118.43
	कुल	**39.63**	**120.39**	**270.13**

ङ. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - हर खेत को पानी - भूजल विकास (केवल 2021-2022 से आगे चल रहे कार्यों के लिए):

क्र.सं.	परियोजनाएं	कुओं का निर्माण किया जाना है लक्ष्य/उपलब्धि (संख्या)	परियोजना कमान लक्ष्य/उपलब्धि (हे.)	लाभार्थियों लक्ष्य/उपलब्धि (संख्या)	निधि आवंटन (करोड़ रुपये में)
1	असम चरण-I	4779 / 4779	19116 / 19116	19643 / 19643	193.41
2	असम चरण-II	4916/ 4916	19664/ 19532	17216/ 17200	252.29
3	अरुणाचल प्रदेश चरण-I	473 / 473	1785/ 1785	3350/ 3350	40.45
4	अरुणाचल प्रदेश चरण-II	519/ 519	1957/ 1957	3633/ 3633	39.45
5	नागालैंड	262/ 262	667/ 667	264/ 264	15.60
6	त्रिपुरा चरण-I	231/ 231	339/ 408*	851/ 915*	9.79
7	त्रिपुरा चरण-II	890/ 885	2670/ 1286	1639/ 2202*	33.84
8	मणिपुर	550/ 550	2057/ 2057	1445/ 1445	54.40
9	मिजोरम	209/ 209	553/ 553	411/ 422*	13.86
10	उत्तर प्रदेश	14752/ 16570*	36365/ 27944	15252/ 17070*	26.69
11	उत्तराखंड	206/ 206	1030/ 1030	1085/ 1085	13.72
12	गुजरात	2150/ 1826	2186/ 1866	2540/ 1908	71.44
13	तमिलनाडु	166/ 163	610/ 603	1233/ 1192	5.28
	कुल	**30103/31589**	**88999/78804**	**68562/70329**	**770.21**

नोट: * = संख्या पार हो गई

च. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - प्रति बूंद अधिक फसल (यह पीएमकेएसवाई के तहत दिसंबर, 2021 तक था जिसे बाद में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत लागू किया जा रहा है):

क्र.सं.	राज्य	सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत कवर किया गया क्षेत्र (हजार हेक्टेयर में)	जारी की गई केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	105.43	502.82
2	बिहार	7.61	31.1
3	छत्तीसगढ़	61.16	79.5
4	गोवा	0.16	0.24
5	गुजरात	286.23	458.79
6	हरियाणा	92.28	233.60
7	हिमाचल प्रदेश	2.45	37.5
8	झारखंड	12.83	97.00
9	जम्मू और कश्मीर	1.03	10.00
10	कर्नाटक	824.07	1087.64
11	केरल	2.53	5.00
12	मध्य प्रदेश	134.18	175.00
13	महाराष्ट्र	331.75	834.00
14	ओडिशा	66.34	43.25
15	पंजाब	7.50	3.75
16	राजस्थान	338.43	486
17	तमिलनाडु	387.33	675.50

18	तेलंगाना	87.56	33.22
19	उत्तराखंड	15.06	146.75
20	उत्तर प्रदेश	157.26	499.25
21	पश्चिम बंगाल	54.31	61.00
22	अरुणाचल प्रदेश	11.71	75.00
23	असम	27.54	51.00
24	मणिपुर	10.76	102.50
25	मेघालय	0.00	15.00
26	मिजोरम	1.77	71.75
27	नागालैंड	14.66	135
28	सिक्किम	8.69	129.50
29	त्रिपुरा	3.74	17.96
30	लद्दाख	-	0.5
31	मुख्यालय	-	160.56
	कुल	**3054.33**	**6259.68**

छ. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - जल संरक्षण:

क्र.सं.	राज्य	सुरक्षात्मक सिंचाई के तहत लाया गया क्षेत्र (हेक्टेयर में)	जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	11.25	87.85
2	अरुणाचल प्रदेश	2.31	119.01
3	असम	21.51	89.53
4	बिहार	6.28	113.47
5	छत्तीसगढ़	8.04	88.50
6	गुजरात	7.49	77.11
7	गोवा	0.00	4.39
8	हरियाणा	2.68	9.13
9	हिमाचल प्रदेश	1.42	21.37
10	झारखंड	2.08	50.46
11	कर्नाटक	12.56	244.59
12	केरल	8.40	13.25
13	मध्य प्रदेश	63.13	332.65
14	महाराष्ट्र	18.01	158.63
15	मणिपुर	0.12	9.24
16	मेघालय	1.34	60.80
17	मिजोरम	0.55	35.63
18	नागालैंड	0.32	29.96
19	ओडिशा	13.00	168.57

20	पंजाब	0.25	8.33
21	राजस्थान	23.48	282.56
22	सिक्किम	0.00	8.66
23	तमिलनाडु	3.84	65.89
24	तेलंगाना	18.49	65.96
25	त्रिपुरा	0.73	25.64
26	उत्तर प्रदेश	0.05	21.78
27	उत्तराखंड	0.05	30.56
28	पश्चिम बंगाल	5.00	35.89
29	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	15.79	21.69
30	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	0.37	3.80
	कुल	**248.56**	**2284.89**

*****

अनुलग्नक-II

"सिंचाई योजनाएं" के संबंध में 10.08.2023 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 3514 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

क: महाराष्ट्र के परभणी और धाराशिव संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को लाभान्वित करने वाली परियोजना का विवरण:

क्रं.सं.	परियोजना	लाभान्वित जिले	जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपये में)	सृजित सिंचाई क्षमता (हजार हेक्टेयर)	स्थिति
i) पीएमकेएसवाई-एआईबीपी					
1	लोअर दुधना प्रमुख सिंचाई परियोजना	परभणी, जालना	52.80	14.25	पूर्ण
ii) विशेष पैकेज (वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाएं)					
1	तेम्भू लिफ्ट सिंचाई योजना	सतारा, सांगली, सोलापुर	291.125	111.856	पूर्ण

iii) विशेष पैकेज (सतही लघु सिंचाई)

क्रं.सं.	परियोजना	लाभान्वित जिले	जारी की गई धनराशि (लाख रुपये में)
1	पलासाखेड़ा	जालना	367.23
2	बारबाडा		0
3	हतवान		0.25
4	पटोदा		1.00
5	सोनखेड़ा एस.टी.		813.63
6	खोरादसावंगी, एम.आई.;		0
7	बोरासुरी एसटी टैंक	लातूर	1,088.29
8	वैरागढ़ एसटी टैंक		673.03
9	चोंडी एसटी टैंक		63.37

ख. प्रयागराज संसदीय क्षेत्र को लाभान्वित करने वाली परियोजना का विवरण

i) पीएमकेएसवाई-एआईबीपी

क्रं.सं.	परियोजना	जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपये में)	सृजित सिंचाई क्षमता (हजार हेक्टेयर)	स्थिति
1	बाणसागर नहर	143.51	100.13	पूर्ण

ii) पीएमकेएसवाई का भूजल घटक

	जारी की गई केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)				
राज्य	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**कुल**
उत्तर प्रदेश	16.69	0	0	10	26.69

नोट: पीएमकेएसवाई के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के फूलपुर संसदीय क्षेत्र को लाभ पहुंचाने से जुड़ी कोई परियोजना नहीं है।

*****